अप्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनआईओएस के डी एल एड कोर्स के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न

पृष्ठभूमि:

***बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 कि धारा 23 (1)* निम्न को निर्धारित करता है**

‘ कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा दी गयी अधिकृत अधिसूचना से निर्धारित न्यूनतम योग्यता होने पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा ’।

आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) के प्रावधान में लिखा है:

> *एक शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता वह पांच साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा।*
>
> *साथ ही एक शिक्षक जो 31 मार्च 2015 को शिक्षक हैं या फिर नियुक्त स्थिति में है पर उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता वह "मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017” के लागू होने कि चार साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता ग्रहण करेगा।*

दिनांक 23 अगस्त, 2010 की एन सी टी ई राजपत्र अधिसूचना में यह कहा गया है कि:

अधिसूचना से पहले नियुक्त, कक्षा 1 से कक्षा 8 के निम्नलिखित श्रेणि वर्ग के शिक्षको को गजट अधिसूचना पैरा (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता को पूरा करने कि आवश्यकता नहीं है:

(क) जिन शिक्षको की नियुक्ति 3 सितम्बर 2001, जब यह विनियमन अस्तित्व में आया, को या इसके बाद हुई हैं, जिस पर एनसीटीई विनियम, (स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण), 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार।

यदि, जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं या बी.एड.(विशेष शिक्षा) या डी एड (विशेष शिक्षा) किये हुए है उनको एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का एलीमेंट्री शिक्षा में ब्रिज कोर्स करना होगा।

(ख) जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ा रहे हैं और एनसीटीई द्वारा अनुमोदित 6 महीने का ब्रिज कोर्स (स्पेशल BTC) किया है।

(ग) 3 सितंबर 2001 से पहले विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक जिनकी नियुक्ति उस समय प्रचलित भर्ती नियम के अनुसार हुई है।

ध्यान दें :

1) जिन शिक्षको की नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पहले हुई है उन्हें इस कोर्स में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है अगर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार के प्रचलित भर्ती नियम के अनुसार किया गया है।
2) 6 महीने का एलीमेंट्री शिक्षा में ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण 9 अक्टूबर, 2017 के बाद शुरू होगा।

दिनांक 23 अगस्त 2010 की एनसीटीई अधिसूचना द्वारा निर्धारित एलीमेंट्री शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता इस प्रकार हैं:

स्तर	न्यूनतम शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता
एलीमेंट्री a. मुख्य	i. उच्चतर माद्यमिक प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष 50% अंकों के साथ; तथा ii. प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या 4 साल एलीमेंट्री शिक्षा में स्नातक या शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)
b. उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल अनुभाग)	i. ग्रेजुएट और एलीमेंट्री शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या ii. स्नातक में कम से कम 50% अंक और 1 वर्ष के शिक्षा / विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर या iii. उच्चतर माद्यमिक प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष 50% अंकों के साथ; और 4 वर्षीय एलीमेंट्री शिक्षा में बैचलर (बी एल एड) / या बीए/बीएससी एड (4 साल)

ध्यान दें: - इस तरह के मामलों में जहां माननीय न्यायालयों द्वारा राज्य/राज्यों के लिए निर्देश दिया गया है वहां प्रश्नों पर टिपण्णी लागू नहीं हैं। राज्य अदालत के आदेश का पालन करने के लिए हम सभी बाध्य हैं।

क्र. स.	प्रश्न	टिप्पणियां
1	क्या एक शिक्षक जिसके पास बी.एड. डिग्री है और वह एलीमेंट्री स्तर (कक्षा 6 से 8) में अध्यापन कर रहा है, उसके लिए डी एल ईडी कोर्स अनिवार्य हैं?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए। 3) जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स विचाराधीन है । 6 महीने का एलीमेंट्री शिक्षा में ब्रिज कोर्स के लिए पंजीकरण 9 अक्टूबर, 2017 के बाद शुरू होगा। iii. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है।
2	क्या केवल ग्रेजुएट शिक्षकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम उपलब्ध है? प्रशिक्षण के लिए समय सीमा क्या हैं?	i. यदि कोई शिक्षक केवल ग्रेजुएट है, तो प्राथमिक स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन के लिए व्यावसायिक अहर्ता अर्थात डी एल एड करना आवश्यक है। ii. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त / निजी स्कूलों के

		अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनआईओएस, ODL के माध्यम से, एक अठारह माह का डी एल एड कार्यक्रम चला रहा है। इसमें पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2017 है।
3	a) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में एक शिक्षक बनने के लिए बी.एड. को मार्च 2019 तक योग्यता मानने की मंजूरी देने का फैसला किया गया है? b) क्या बी.एड. उम्मीदवार मार्च 2019 तक प्राथमिक विद्यालयों में आवेदन के लिए पात्र हैं ?	i. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मार्च 2019 तक के लिए ऐसा किसी भी तरह का अनुमोदन नहीं दिया है।** ii. पहले के बी एड योग्यता वाले भर्ती उम्मीदवारों को 6 महीने का एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त **ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है**। कृपया इस संबंध में (1) ऊपर उत्तर देखें। **iii. अयोग्य शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हो सकती है।** iv. शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा तथा डी एल एड किया होना आवश्यक है।
4	क्या यह कार्यक्रम अनिवार्य है?	**प्राथमिक स्तर पर सभी सेवाकालीन शिक्षकों के लिए और केवल ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर डी एल एड अनिवार्य है। यह आरटीई, 2009 अधिनियम के तहत एनसीटीई द्वारा अनिवार्य आवश्यक योग्यता के अनुसार है**। कृपया उपरोक्त उत्तर (1) भी देखें।
क	क्या बी.एड. योग्यता रखने वाले, कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने वाले शिक्षक, या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी. एड. (विशेष शिक्षा) को, एक एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के 6 माह का विशेष कार्यक्रम करना होगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य मे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा पर	i. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं उनको एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है । इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। पाठ्यक्रम NIOS द्वारा चलाया जायेगा ii. 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए निर्देश अलग से दिए जायेंगे।

	6 महीने का विशेष कार्यक्रम करने की सुविधा नहीं है।	
ख	कक्षा 1 से 5 को पढ़ने वाले शिक्षक जो बी.एड. किए हुए हैं और एनसीटीई द्वारा स्वीकृत 6 महीने के विशेष शिक्षक पाठ्यक्रम को भी पूरा किए हुए है।	जिन शिक्षकों ने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको यह दोबारा करने कि आवश्यकता नहीं है यदि वह कोर्स एन सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त है. परन्तु उस कोर्स के एन सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त न होने पर इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में टिपण्णी (1) (iii) भी देखें।
5	एक विज्ञान स्नातक शिक्षक (I-VII स्कूल) के हायर सेकेंडरी परीक्षा में 50 % से कम अंक है और डीएलईडी प्रशिक्षण पूरा नहीं है। क्या उसको 50% के साथ फिर से हायर सेकेंडरी पूरा करना होगा?	i. हाँ, एक सामान्य वर्ग से संबंधित शिक्षक के लिए डी एल एड कोर्स में प्रवेश का पात्र होने के लिए उच्चतर माद्यमिक स्तर कि परीक्षा में कम से कम 50% अंक आवश्यक है। ii. इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करना आवश्यक है।
6	क्या अगर एक प्राथमिक शिक्षक ने बी एड के साथ TET परीक्षा उतीर्ण कि है तो उसको डी एल एड कोर्स करने कि आवशयकता है?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए। iii. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना

		चाहते हैं वे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करंगे। iv. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है।
7	क्या निजी स्कूल में अध्यापन कर रहा एक शिक्षक डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकता है?	हाँ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त / निजी स्कूलों के अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनआईओएस, इस ऑनलाइन डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
8	यदि UDISE संख्या के बिना एक निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय में, प्रधानाचार्य आवश्यक कार्रवाई नहीं करता है तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी एल एड कार्यक्रम में भर्ती में मदद करने के लिए क्या किया जा सकता है?	**ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य आरटीई अधिनियम की धारा 18 का संदार्ब ले सकता है, जिसके अनुसार किसी भी स्कूल के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करने पर उसकी मान्यता वापस लेने के लिए अधिकार प्रदान करता है।** इस धरा का प्रयोग करके, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को संबोधित करके यह सुनिश्चित किया जाये कि इन स्कूलों में अध्यापन कर रहे सभी अप्रशिक्षित शिक्षक एनआईओएस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर रहे हैं।
9	क्या गेस्ट टीचर्स डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं?	सभी सेवारत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक जो कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2(एन) के तहत परिभाषित स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती हुए हैं, डी एल एड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
10	क्या मदरसों के शिक्षक डी एल एड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं?	सभी सेवारत अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक जो कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2(एन) के तहत परिभाषित स्कूलों में अध्यापन कर रहे हैं और आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती हुए हैं, डी एल एड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
11	क्या ऐसे शिक्षकों को जो अरुणाचल प्रदेश में VI-VIII कक्षाओं में "भोती" भाषा, या तृतीय भाषा सिखा रहे हैं, डी एल एड कोर्स में प्रवेश लेने की आवशयकता है?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए।

		iii. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स विचाराधीन है। iv. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है।
12	माध्यमिक कक्षाओं में अनुतीर्ण तथा माध्यमिक स्तर (10 वीं कक्षा) उतीर्ण शिक्षक, विद्यालयों में काम कर रहे हैं। उनको डी एल एड कोर्स में प्रवेश कैसे मिलेगा?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए। iii. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं वे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करंगे। iv. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है। v. इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करना आवश्यक है। vi. **एनआईओएस पोर्टल पर 10 वीं में असफल रहे उम्मीदवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।**
13	अगर शिक्षक एनआईओएस में सीनियर सेकेंडरी में अभी प्रवेश प्राप्त करते हैं, तो वे एनआईओएस पोर्टल पर कैसे डी एल एड में प्रवेश लेंगे, जहां दोनों उच्चतर माध्यमिक और डी एल एड	इस तरह के सभी शिक्षकों के लिए **एक बार की उपाय के रूप में** एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करने का **विशेष प्रावधान किया गया है।**

	के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2017 है?	
14	क्या सरकार में प्राथमिक स्तर पर काम कर रहे उर्दू शिक्षक डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं?	सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) कि परिभाषा के अनुसार अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती हुए है, वे डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
15	क्या स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किये हुए शिक्षक जो कि 12 वीं में 50%/45% से कम प्राप्त किये हुए हैं वे डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं?	i. 10 + 2 में 50% अंक (सामान्य श्रेणी) और 45% अंक (आरक्षित श्रेणी) डी एल एड कोर्स के लिए अनिवार्य योग्यता है। ii. इस तरह के सभी सेवाकालीन शिक्षक जिनके 10 + 2 में 50% (या 45 %) से कम अंक है, 12 वीं (सुधार करने) के लिए और डी एल एड के लिए एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करेंगे।
16	ग्रेजुएट टीचर्स जो उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) पर काम कर रहे हैं, डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए। iii. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं वे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करंगे। iv. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है। v. इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी

		एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करना आवश्यक है।
17	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त /सरकारी सहायता प्राप्त/ सहायता रहित निजी विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा शिक्षक डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं?	i. यदि वे शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में नियुक्त किये गए हैं तो उनके लिए सिर्फ बीपीएड करना आवश्यक हैं। ii. लेकिन अगर वे प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ा तो उनको डी एल एड करना आवश्यक है। और साथ ही 12 वीं कक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच उम्मीदवारों के लिए 5% अंक की एक छूट दी गयी है।
18	क्या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं?	केवल आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) के अंतर्गत कार्य कर रहे अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक ही एनआईओएस द्वारा चलाये जा रहे डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं।
19	क्या सरकारी/सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन कर रहे कम्प्यूटर शिक्षक डी एल एड कोर्स के पात्र हैं?	i. ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर (पहली कक्षा से लेकर पाचवी कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको 50% अंकों के साथ 12 वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डी एल एड भी होना चाहिए। ii. ऐसे शिक्षक जो कि ऊपरी एलीमेंट्री स्तर (छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक) में अध्यापन कर रहे हैं उनको डी एल एड के साथ स्नातक होना चाहिए, या बी.एड. के साथ स्नातक होना चाहिए। iii. जो शिक्षक बी.एड. के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) पर पढ़ाना चाहते हैं वे एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करंगे। iv. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / शारीरिक रूप से बाधित उम्मीदवारों के लिए, कक्षा 12 वीं में 5% अंकों की छूट दी गयी है। v. इस तरह के सभी शिक्षकों को एनआईओएस में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और डी एल एड कोर्स में एक साथ रजिस्टर करना आवश्यक है।

20	क्या स्वैच्छिक विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक इस कोर्स के पात्र है?	केवल आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) के अंतर्गत कार्य कर रहे अप्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षक ही एनआईओएस द्वारा चलाये जा रहे डी एल एड कोर्स के लिए पात्र हैं।
21	क्या शास्त्री और कला अध्यापक जो सरकारी/सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं वे डी एल एड कोर्स के पात्र हैं?	सभी अप्रशिक्षित सेवाकालीन एलीमेंट्री शिक्षक जो कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) कि परिभाषा के अनुसार अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती हुए है, वे डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
22	शिक्षा मित्र / पैरा शिक्षक / अंशकालिक शिक्षक / अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे शिक्षक डी एल एड के लिए पात्र हैं?	सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (एन) कि परिभाषा के अनुसार अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार भर्ती हुए है, वे डी एल एड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
23	क्या किसी सरकारी/सहायता प्राप्त/ मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक / एलीमेंट्री विद्यालय में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव एनआईओएस द्वारा (ODL मोड) में आयोजित डी एल एड में प्रवेश के लिए अनिवार्य अहर्ता है?	सभी अप्रशिक्षित शिक्षक जो की 10 अगस्त, 2017 (जो आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन की गजट अधिसूचना की तारीख है) तक नियुक्त हुए हैं इस डी एल एड कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
24	क्या 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक जो उस समय के प्रचलित भर्ती नियमों के अनुसार भारती हुए है उनको इस कार्यक्रम से गुजरना आवश्यक है?	दिनांक 23 अगस्त, 2010 के शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण के संबंध में एनसीटीई अधिसूचना के पैरा 4 (ग) के अनुसार, 3 सितंबर 2001 से पहले विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले एक शिक्षक पर यह अधिसूचना लागू नहीं है, यदि यह नियुक्ति उस समय के प्रचलित भर्ती नियम के अनुसार हुई है। साथ ही, एनसीटीई द्वारा 3rd सितंबर 2001 से पहले शिक्षकों के स्कूलों में नियुक्त किए जाने की योग्यता के निर्धारण के बारे में कोई

		अधिसूचना जारी नहीं कि गयी थी। तो संबंधित राज्य सरकार के प्रचलित भर्ती नियम ही ऐसे मामलों में लागू रहेंगे। यह दोहराया जाता है कि उक्त शिक्षकों को उस समय कि राज्यों सरकार की नीति के अनुसार भर्ती किया गया होना चाहिए।
25	क्या SWAYAM और SWAYAMPRABHA के माध्यम से एनआईओएस द्वारा आयोजित ऑनलाइन डी एल पाठ्यक्रम एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है?	हाँ, यह पाठ्यक्रम एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है।